



अग्निपथ योजना के विरोध में एवं इस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस की टोंक इकाई ने डाक बंगले में स्थानीय विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। इस सत्याग्रह का आयोजन ए.आई.सी.सी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राजीव गांधी के निर्देशानुसार किया गया था। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में युवा वर्ग व कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्हें सचिन पायलट ने संबोधित किया।

रूस दिवालिया होने के कगार पर, 100 मिलियन डॉलर के कर्ज का ब्याज़ नहीं चुका पाया

भारत ने सबसे अमीर देशों के साथ मंच पर उसी दिन शिरकत की, जिस दिन वर्ष 2014 में रूस को जी-7 से निकाला गया था

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। भारत दुनिया के सर्वाधिक समृद्ध देशों की जमात में शामिल हो गया है, लेकिन इसी दिन रूस अपने विदेशी ऋणों के बकाया ब्याज के भुगतानों में चूक कर गया। उल्लेखनीय है कि रूस को वर्ष 2014 में ही विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों के गुट से निष्कासित कर दिया गया था।

यह दो घटनाएँ विश्व की बदलती व्यवस्था को विरोधाभासी रूप से सामने लाती हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का कठोरता से पालन करने के बावजूद कई अन्य प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ना शुरू हो गया है। कई वैश्विक व सामरिक घटनाक्रमों के बीच, सोमवार एक बिलक्षण घटना का साक्षी बना।
बोल्शेविक क्रांति के बाद हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1918 के बाद से रूस ने अपने विदेशी ऋणों के भुगतान में पहली बार चूक की है।
रूस सौ मिलियन डॉलर ऋण के बकाया ब्याज का भुगतान करने में विफल हो गया, जो बाह्य भुगतान लेखा के आर्थिक दिवालिया होने का संकेत देता है। विदेशी ऋणों की अदायगी में अक्षमता की यह एक प्रतीकात्मक घटना है। रूस के केन्द्रीय बैंक के विदेशी विनिमय भण्डारों में 6 सौ बिलियन डॉलर से कम की रकम नहीं है, लेकिन

- रूस के वित्त मंत्री ने आनन फानन में स्पष्टीकरण दिया कि भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है, देश के पास पर्याप्त रिज़र्व हैं, हालांकि अभी वह फ्रीज़ है।
- सोमवार को जब जी-7 की बैठक चल रही थी और बैठक में यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में पूर्ण समर्थन का एलान किया गया, तो तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन पर और भी जबर्दस्त हमला बोला।

उसका समूचा विदेशी मुद्रा भण्डार पश्चिमी देशों के बैंकों में और वैस्टर्न ट्रेज़री बॉण्ड्स के रूप में है, जिसे फ्रीज़ किया जा चुका है। परिणाम स्वरूप रूस की अपने ही फण्ड्स तक पहुँच नहीं है और ऋणों का ब्याज अदा ना करने को लेकर उसे अपमानित होना पड़ा।
रूस के वित्त मंत्री ने तुरन्त प्रभाव से स्पष्ट किया कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भण्डार है, लेकिन वह सारा फ्रीज़ पड़ा है।
जर्मनी के चावेरियन जंगलों में स्थित एक भयंकर किले में सर्वाधिक अमीर देशों की हुई शिखर वार्ता में इसी दिन इन देशों द्वारा भारत का सम्मान किया गया।
जर्मनी में जी-7 देशों की मॉटिंग में भारत को जलवायु संरक्षण व अक्षुण्ण विकास पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। रूस ने एक उपेक्षापूर्ण मूड में

इस दिन यूक्रेन पर जबर्दस्त बमबारी की, जबकि इस दौरान जी-7 देशों की मॉटिंग चल रही थी जिसमें रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध प्रयासों को पूरा समर्थन व्यक्त किया जा रहा था।
रूस ने बदले की कार्रवाई में कई शहरों को तबाह कर दिया और यूक्रेन की राजधानी कीव के कई अपार्टमेंट्स में मिसाइलें दागीं। बताया जाता है कि इसमें कई लोग मारे गए।
जी-7 देशों ने जब तक जरूरत पड़े तब तक के लिए यूक्रेन को अन्यायपूर्ण हथियारों की सप्लाई सहित सैन्य और वित्तीय सहायता का वादा किया। अमेरिका ने यूक्रेन को 40 बिलियन डॉलर की सैन्य व वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। इसने लॉग रेंज मिसाइल्स जैसे वैपन सिस्टम शामिल हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस को वर्ष 2014 में जी-7 देशों के गुट से बाहर कर दिया

गया था। उसके बाद से वह दुनिया के सबसे अमीर देशों के बीच तुच्छ बना हुआ है। रूस ने हमेशा से यूरोप का एक आंतरिक हिस्सा बनने का प्रयत्न किया था और जी-7 से निष्कासन ने उसके विचार को तगड़ा झटका दिया।
रूस से तेल खरीदने को लेकर जी-7 देशों से भारत के मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी-7, शिखर सम्मलेन की मेजबानी कर रहे जर्मनी के आमंत्रण पर वहां के दौरे पर हैं। सात देश, नामतः अमेरिका, यू.के., फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनेडा और जापान विश्व के मामलों और सतत विकास को लेकर प्रति वर्ष चर्चा करते हैं।
स्मरणीय है कि भारत ने पिछले सप्ताह ही चीन की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक कमजोर अनौपचारिक ग्रुप है। इसकी वार्ता वर्चुअल हुई, लेकिन स्पष्ट था कि आक्रमण मुद्दे पर भारत की राय रूस और चीन की भांति जी-7 देशों के जैसी नहीं थी। भारत ने एक सार्वभौमिक राष्ट्र पर सैन्य हमले का विरोध किया था।
इस तरह से भारत को प्रतिद्वंद्वी कूटनीतिक एवं सामरिक गुटबंदी के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलित भूमिका निभानी है और साथ ही अपने मुख्य राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना है।

‘उन्होंने पहले भी मुझे नाकारा और निकम्मा कहा था लेकिन मैं उसका भी बुरा नहीं मानता’

सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में मंच से मेरे सब्र की तारीफ की थी। उनके इस बयान से किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको पॉज़िटिव रूप में लेना चाहिए

टोंक, 27 जून (निर्स)। सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। पायलट ने कहा कि “अशोक गहलोत मेरे लिए पिता तुल्य हैं, वे बुजुर्ग एवं अनुभवी हैं, उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता हूँ। उन्होंने पहले भी मुझे नाकारा और निकम्मा कहा था लेकिन मैं उसका भी बुरा नहीं मानता।”
सचिन पायलट ने आज टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि “कौन क्या कह रहा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रयास यही है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार कैसे बनाए उन्होंने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी अगर एक विधायक और कम रहता तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी

- उन्होंने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, अगर एक विधायक और कम रहता तो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता। उसके बाद हमने विपक्ष में रहते हुए 5 साल खूब फील्ड में रगड़ाई खाई और उसी के दम पर फिर से हमारी सरकार सत्ता में लौटी।
- हमारा प्रयास यह है कि, जिन लोगों ने सरकार बनाने में अपना खून पसीना बहाया था उन लोगों को सत्ता और संगठन में सम्मान मिलना चाहिए।

नहीं मिलता। उसके बाद हमने विपक्ष में रहते हुए फिलड में 5 साल खूब रगड़ाई की और उसी के दम पर हमारी सरकार सत्ता में लौटी। हमारा प्रयास यही है कि जिन लोगों ने सरकार बनाने में अपना खून पसीना बहाया था, उन लोगों को सत्ता और संगठन में सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने दिल्ली में मंच से मेरे सब्र की तारीफ की थी। उनके इस बयान से किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको एक पॉज़िटिव रूप में लेना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अब लोगों को परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वह बोलते भी हैं तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है।”
सचिन पायलट ने केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेते हुए कहा कि “गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में

इसलिए मंत्री बन पाए क्योंकि हम सत्ता में होने के बावजूद उनके सामने लोकसभा का चुनाव हार गए। यह हमसे चूक हुई है अगर हम लोकसभा चुनाव में कामयाब हो जाते तो शेखावत केंद्र में मंत्री नहीं बन पाते।
पायलट ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जोधपुर से चुनाव जीतेगी, जो चूक हमसे पहले हो गई थी इस बार वह चूक नहीं होगी और इस बार गजेंद्र सिंह को चुनाव हराएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सरकार गिराने की साजिश में केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के आपस में मिले होने का आरोप लगाया था। जिला प्रवक्ता जरीर खान ने बताया कि इस अवसर पर संगठन जिला प्रभारी महेन्द्र सिंह खेडी, विधानसभा पर्यवेक्षक राजेश चौधरी, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता, सभापति अली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पिता की सुप्रीम कोर्ट से गुहार

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। कश्मीर के मोहम्मद लतीफ मारगे ने नवम्बर 2021 में हैदरपुरा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने बेटे के दफन शव को निकालने की मांग सोमवार को छोड़ दी।
उन्होंने 27 मई को एकल न्यायाधीश की बैच द्वारा दी गई अनुमति पर रोक लगाने वाली जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक डिवीज़न बैच

- कश्मीरी पिता ने बेटे का दफन शव निकाले जाने की मांग छोड़ी, पर अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी।

के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्के वकील ने अदालत में कहा कि वह अब अपने बेटे का शव नहीं चाहते, जो उनकी पहली प्रार्थना थी, लेकिन उनकी दूसरी प्रार्थना के अनुसार उनके परिवार को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाल की बैच ने उनसे कहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन भरा

नामांकन पत्र भरते समय उनके एक तरफ एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार और दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खड़े नज़र आए

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। विपक्ष की एकता के प्रदर्शन के अन्तर्गत, संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन कर दिया। उनके एक तरफ नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार तो दूसरी बगल में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खड़े हुये थे।

राहुल गांधी ने कहा, “हम समर्थन तो एक व्यक्ति का कर रहे हैं लेकिन वास्तविक लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा आर.एस.एस. की है, जो शोध और नफरत की विचारधारा है, तथा दूसरी विपक्षी दलों की है जो एकजुट होकर खड़े हुये हैं तथा जो कर्णिका की विचारधारा है।

- इस अवसर पर कई अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे, पर दो प्रमुख विपक्षी दलों, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। शिव सेना का प्रतिनिधि भी नहीं था क्योंकि पार्टी महाराष्ट्र में आंतरिक संकट से जूझ रही है।
- सिन्हा को अंतिम क्षणों में बड़ा सहारा मिला, जब सोमवार सुबह तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख जे. चन्द्रशेखर राव ने सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा की, हालांकि उन्होंने पूर्व में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और कांग्रेस के साथ मंच साझा करने पर आपत्ति जताई थी।

इसी भावना को अपने शब्दों में दोहराते हुये, सिन्हा ने इस राष्ट्रपति चुनाव को “निरंकुश सत्ता की विचारधारा और स्वतंत्रता की

विचारधारा के बीच की लड़ाई” बताया। जब 84-वर्षीय पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने 14 विपक्षी दलों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चर्च

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। चर्चों और ईसाई पादरियों पर बढ़ रहे कथित हमलों के विरोध में दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि उक्त याचिका को 11 जुलाई के लिए स्थगित किया जाए। कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नियमित सुनवाई 11 जुलाई में ही शुरू होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस

- इन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण से संबंधित याचिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पहले दिन सुनेगा सुप्रीम कोर्ट।

जे.बी. पादीवाला की एक बैच सीनियर एडवोकेट कोलिन गोन्जाल्वेस द्वारा इसका जिक्र किए जाने पर सुनवाई को स्थगित हो गया। उन्होंने शिकायत की कि देश में प्रत्येक माह औसतन 45 से 50 हिंसक हमले होते हैं। मई माह में ही इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिंदे सेना को रिलीफ मिली सुप्रीम कोर्ट से

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र संकट पर अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दी

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। शिवसेना के विद्रोही विधायकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति नरहरि जिरवाल को नोटिस जारी किया, लेकिन साथ ही यहां के राजनीतिक संकट के किसी त्वरित समाधान से भी परहेज किया। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है, जब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालती कामकाज शुरू होगा।
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जे.बी. पादीवाला ने विधानसभा उपाध्यक्ष से कहा कि कि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पहले से ही लम्बित है, अतः किसी भी प्रकार की जल्दबाजी अवांछित परिणामों को जन्म दे सकती है। उपाध्यक्ष सोमवार सायं 5.30 बजे विद्रोही विधायकों के मामलों पर निर्णय देने वाले थे।
जिरवाल शरद पवार की नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तथा उनके पास उसी समय से विधानसभा स्पीकर अधिकार हैं, जब कांग्रेस

- जस्टिस सूर्यकांत एवं जे.बी. पादीवाला की अक्काश बैच ने शिव सेना के बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस जारी किया।
- बैच ने जिरवाल से कहा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लम्बित है, इसलिए जल्दबाजी करने के अवांछित नतीजे हो सकते हैं।
- कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और अन्य बागियों से कहा है कि वे 12 जुलाई को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब दें, गौरतलब है कि डिप्टी स्पीकर ने बागियों को नोटिस जारी कर सोमवार शाम तक जवाब मांगा था।
- सभी पार्टियों से 5 दिन में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है और शिंदे कैम्प को इन जवाबी शपथ पत्रों पर जवाब देने के लिए तीन दिन का समय मिल गया है।

नेता नाना पटोले, जो एम.वी.ए. गठबन्ध के सत्ता में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष चुने गये थे, न 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर दिये जाने के बाद, उन्होंने स्पीकर पद से त्याग पत्र दे दिया था। इस प्रकार, कांग्रेस ने स्पीकर पद खाली कर दिया था। जिरवाल 4 फरवरी, 2021 से स्पीकर नामजद कर दिये गये हैं।
एक अन्तरिम दिशा-निर्देश देते हुये, अदालत ने एकनाथ शिंदे तथा अन्य विद्रोही

विधायकों को 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक की मोहलत दे दी तथा कहा कि डिप्टी स्पीकर के डिसक्वालिफिकेशन नोटिसों पर रिट याचिका में अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह बिना “अपना जवाब उस तिथि तक प्रस्तुत कर दें। जातव्य है कि इससे एक दिन पूर्व, अदालत इस मामले की सुनवाई कर लेगी। डिप्टी स्पीकर ने उन्हें अपना प्रस्तुत करने के लिये सोमवार सायं 5.30 तक का समय दिया था।

डिप्टी स्पीकर की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अदालत को आश्चर्य किया कि इस प्रकरण की सुनवाई की अगली तारीख तक, विद्रोही विधायकों को डिसक्वालिफिकेशन पर कोई कार्यवाही भी की जायेगी।
सभी पक्षों को कह दिया गया है कि वे पाँच दिन के अन्दर काउन्टर ऐफिडेविड प्रस्तुत कर दें तथा शिंदे गुट के जवाबी शपथ पत्र के जवाब

‘अम्बानी को सिक्युरिटी क्यों’

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 27 जून। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केन्द्र सरकार की अपील पर चर्चा होगी, जो उद्योगपति मुकेश अम्बानी और उनके परिवार को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका के विरोध में दर्ज की गई है।
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका स्वीकार की है जिनमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अम्बानी परिवार को सुरक्षा

- त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका स्वीकार की, जिसे केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

देने को चुनौती दी गई है। केन्द्र ने त्रिपुरा हाई कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। और कहा कि एक परिवार को सुरक्षा देना जनहित का मुद्दा नहीं है। अपील में याचिकाकर्ता के स्थान को चुनौती दी गई है और कहा गया है (शेष अंतिम पृष्ठ पर)